कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/माध्यमिक/शालादर्पण/60302/2018–19/255 दिनांक : 17/02/2020

समस्त संस्थाप्रधान **अत्यावश्यक**

रामावि/राबामावि/राउमावि/राबाउमावि।

विषयः–शालादर्पण पोर्टल पर "SUBJECT TEACHER MAPPING" मॉड्यूल की प्रविष्टि दिनांक : 28.02.2020 तक आवश्यक रूप से पूर्ण करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जैसा कि आपको विदित है कि मौजूदा शैक्षिक सत्र : 2019–20 शीघ्र ही पूर्ण होने जा रहा है। विभाग में विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक गुणवत्ता की सुनिश्चिता के लिए बोर्ड परीक्षा परिणाम की समीक्षा हेतु मानदण्ड निर्धारित है, जिसके अनुसार निर्धारित समय–सारिणी के अनुरूप विषयवार उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम हेतु प्रशंसा प्रणाम–पत्र एवं मानदण्डों से न्यून परीक्षा परिणाम हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही के समयबद्ध निष्पादन एवं अन्य विभागीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शालादर्पण पोर्टल पर "SUBJECT TEACHER MAPPING MODULE" का सम्बन्धित विद्यालयों द्वारा अद्यतन संधारण अपेक्षित है, परन्तु उक्त मॉड्यूल में सम्बन्धित विद्यालय स्तर पर वांछित प्रविष्टियां अत्यन्त न्यून है, जिसके कारण परीक्षा परिणाम के दायित्व निर्धारण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम की पालना में जहां अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, वहीं विभाग द्वारा वांछित सूचना संकलन मे भी बाधा उत्पन्न हो रही है।

उपर्युक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि शाला दर्पण पोर्टल पर RESULT मॉड्यूल के अन्तर्गत RESULT ENTRIES---->SUBJECT TEACHER MAPPING के द्वारा आपके विद्यालय से सम्बन्धित विषयाध्यापक मैपिंग दिनांकः 28.02.2020 तक आवश्यक रूप से पूर्ण की जानी सुनिश्चित करें। उपर्युक्त कार्य में शिथिलता/उदासीनता बरतने वाले संस्थाप्रधानों/कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

समस्त सम्बन्धितों द्वारा उपर्युक्त निर्देशित कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता से सम्पादित की जाए।

" V. Imp "

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को संभाग क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान को जिला क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
9. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर